

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -95/2023

अनवान : -

1. केशर गर पुत्र हीरगर जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. हीरगर पुत्र मुकनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. हनुमानगिर पुत्र हिरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
3. रोशनी पत्नी धर्मगीर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
4. अजय पुत्र धर्मगीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रोशनी पत्नी धर्मगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
5. राहुल पुत्र धर्मगिर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रोशनी पत्नी धर्मगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
6. मनिषा पुत्री धर्मगिर नाबालिग जरिये कुदरति बली माता रोशनी पत्नी धर्मगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
7. प्रमेश्वरी पत्नी हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
8. गुडी पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
9. सीता गोस्वामी पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
10. नाथी पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
11. विद्या देवी पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
12. कलावती पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी  
निर्णय दिनांक: 11.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 204/171 की कुल तादादी 3.3510 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता स0 331/284 की कुल 6.1080 हैक्ट भूमि व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 101/97 की कुल 29.3110 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता स0 102/96 की कुल 8.9030 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 34/29 की कुल 4.6150 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक धर्मगर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के उत्तराधिकारी परमेश्वरी पत्नी हीरगर व धर्मगर, गुडडी, सीता, नाथी विद्या व काली हुए जिनमें धर्मगर का स्वर्गवास हो चुका है जिनके जायज वारिस प्रतिवादी स0 3 ता 6 है ।

प्रतिवादीया संख्या 8 ता 12 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता व भाई के वारिसों पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 जो की प्रतिवादी स0 7 की पुत्री व प्रतिवादी स0 4 ता 5 की बहिन है अपने मृतक पिता की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई व माता के पक्ष के परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 204/171 की कुल 3.3510 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 331/284 की कुल 6.1080 हैक्ट भूमि व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 1097/97 की कुल 29.2130 हैक्ट भूमि मे से 1/4 हिस्सा भूमि उपरोक्त तीनों खातों प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 2 बहिब काबिज है व शेष 1/3 हिस्सा भूमि में से 3/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 3 काबिज है व 2/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 4 व 5 बहिब काबिज है तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 34/29 की कुल 4.6150 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से 3/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 3 काबिज है व 2/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 4 व 5 बहिब काबिज है तथा मालिया के खाता 102/96 की भूमि पर प्रतिवादी स0 1 यथावत काबिज है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स0 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070-73 खाता स0 204/171, 331/284, 34/29 प्रदर्श 1 ता 3, रोही मौजा रेखमालिया जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता स0 101/97, 102/96 प्रदर्श 4 व 5, सरपंच ग्राम पंचायत टिडियासर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श-6, मृत्यु प्रमाण पत्र धर्मगर प्रदर्श-7, जमाबंदी सम्वत 2029-38 रोही मौजा बालासर प्रदर्श-8, जमाबंदी सम्वत 2013-16 रोही मौजा रेखमालिया प्रदर्श-9 आदि प्रदर्शित करवायें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 12 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 204/171 की कुल तादादी 3.3510 है0 भूमि मे से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता स0 331/284 की कुल 6.1080 हैक्ट भूमि व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 101/97 की कुल 29.3110 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता स0 102/96

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ़)

की कुल 8.9030 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 34/29 की कुल 4.6150 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक धर्मगर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 12 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी स0 6 ता 12 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 12 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 204/171 की कुल 3.3510 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 331/284 की कुल 6.1080 हैक्ट भूमि व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 101/97 की कुल 29.2130 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि उपरोक्त तीनों खातों प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी स0 2 बहिब कि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/3 हिस्सा भूमि में से 3/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 2/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 4 व 5 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 34/29 की कुल 4.6150 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक धर्मगर पुत्र हीरगर का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से 3/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 2/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 4 व 5 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा मालिया के खाता 102/96 की भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक.....11.5.23.....को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-पाण्डुसर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -95/2023

अनवान : -

1. केशर गर पुत्र हीरगर जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. हीरगर पुत्र मुकनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. हनुमानगिर पुत्र हिरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
3. रोशनी पत्नी धर्मगीर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
4. अजय पुत्र धर्मगीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रोशनी पत्नी धर्मगीर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
5. राहुल पुत्र धर्मगीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रोशनी पत्नी धर्मगीर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
6. मनिषा पुत्री धर्मगीर नाबालिग जरिये कुदरति बली माता रोशनी पत्नी धर्मगीर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
7. प्रमेश्वरी पत्नी हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
8. गुडी पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
9. सीता गोस्वामी पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
10. नाथी पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
11. विद्या देवी पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
12. कलावती पुत्री हीरगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 95 सन 2023 दिनांक 11.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 204/171 की कुल 3.3510 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 331/284 की कुल 6.1080 हैक्ट भूमि व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 101/97 की कुल 29.2130 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि उपरोक्त तीनों खातों प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी स0 2 बहिब कि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/3 हिस्सा भूमि में से 3/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 2/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 4 व 5 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 34/29 की कुल 4.6150 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक धर्मगर पुत्र हीरगर का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से 3/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0

28

3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 2/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 4 व 5 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा रेख मालिया के खाता 102/96 की भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक.....11/5/23.....को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-पाण्डुसर